मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक जी-22-6/94/सी/चार, भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :- विदेश यात्रा के दौरान दैनिक भत्ते की पात्रता.

संदर्भ :- वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक जी-22-6/94/सी/चार, दिनांक 24-10-96 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 1-4-97.

राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय संस्था के पदाधिकारी गण जब विदेश यात्रा पर जाते हैं, तब उनको देय दैनिक भत्ते की दरों के बारे में वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं. फिर भी ऐसे कुछ मामले देखने में आए हैं, जिनमें निर्धारित दर से अधिक दर पर भत्ता लिया गया है. ऐसे मामलों मे वसूली की कार्यवाही पृथक से की जा रही है.

2. इस ज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य यह पुन: दोहराना है कि राज्यशासन के सार्वजनिक उपक्रम, अर्द्धशासकीय संस्था/सहकारी संस्था विश्वविद्यालय आदि के पदाधिकारियों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर से ही भत्ते की पात्रता है. विभिन्न देशों के लिए निर्धारित भत्ते की दरों का पुनरीक्षण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है. उसके बाद जब तक राज्य शासन से स्पष्ट आदेश न हो जाएं, तब तक पूर्व निर्धारित दरों पर ही भत्ता लिया जा सकता है.

3. कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों की भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश में निर्धारित दर पर भत्ता लेने की पात्रता की मान्यता सर्वथा गलत है. प्रमुख रुप से इसी शंका के समाधान के लिए उपरोक्त संदर्भित आदेश जारी किए गए थे. भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश केवल यह दर्शाते हैं कि विदेश भ्रमण के दौरान विदेशी मुद्रा की अधिकतम पात्रता कितनी होगी. इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के अध्यक्ष अथवा प्रबंध संचालक हो इस दर पर दैनिक भत्ते की पात्रता बन जाती है. राज्य शासन के सभी सार्वजनिक उपक्रम, संस्थाऐं, विश्वविद्यालय आदि के पदाधिकारियों के समतुल्य ही हो सकती है, उससे अधिक कदापि नहीं. भविष्य में यात्रा देयक में वित्त विभाग के ज्ञापन का क्रमांक एवं दिनांक, जिसके आधार पर भत्ते की गणना की गई है, स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा.

हस्ता/-
(जी. पी. सिंघल)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र. जी-22/6/94/सी/चार भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1997

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर.
5. सचिव लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.

7. **सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश.**

8. **सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश**

9. **सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.**

हस्ता/-
(ए. आर. त्रिपाठी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग